बैंक नोटों के परिवहन हेतु ड्राईवरों / अन्य आवश्यक स्टाफ सहित वांछित विशेषताओं वाले बंद वाहनों की आपूर्ति के लिए परिवहन ठेकेदारों को सूची में सम्मिलित करने हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) (दर अनुबंध)

मुद्रा प्रबंध विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई (जिसे बाद में "आरबीआई" अथवा 'बैंक" कहा गया है) प्रतिष्ठित तथा अनुभवी सड़क परिवहन ठेकेदारों से देश भर में स्थित बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के निर्गम विभागों (निर्गम कार्यालयों) के लिए ड्राईवरों / अन्य आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ण रूप से ढ़के हुए कंटेनर ट्रक / वाहनों, जो पर्याप्त मोटाई वाले धातु की बॉडी, सुरक्षित छेड़छाड़ रोधक डबल लोकिंग सिस्टम व्यवस्था के साथ प्राथमिक रूप से छेड़छाड़ / बुलेट रोधक, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) सक्षम हों, की पर्याप्त संख्या में आपूर्ति हेतु सूची में सम्मिलित करने का इच्छुक है। ये वाहन बैंक के निर्गम कार्यालयों से उनके क्षेत्राधिकार में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा परिचालित मुद्रा तिजोरियों से तथा इसके विपरीत तथा बैंक द्वारा निर्धारित किसी अन्य स्थान से / तक बैंक नोटों के परिवहन के लिए आवश्यक होंगे ।

पूर्व योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले परिवहन ठेकेदार अपनी भौगोलिक उपस्थिती के आधार पर एक या अधिक निर्गम कार्यालयों के लिए पर्याप्त संख्या में वांछित विशेषताओं वाले वाहनों की आपूर्ति हेतु **अनुलग्नक – I** में दिए गए आवेदन प्रारूप के अनुसार अपनी रूचि प्रस्तुत कर सकते हैं ।

"**रूचि की अभिव्यक्ति**" (जिसे बाद में 'ईओआई" कहा गया है) दस्तावेज़ को बैंक की वेबसाईट अर्थात https://www.rbi.org.in के **निविदाएँ** खण्ड से डाऊनलोड किया जा सकता है । सभी पहलुओं में विधिवत भरे / पूर्ण आवेदन को एक सीलबंद लिफाफे में, जिसके ऊपर "**परिवहन ठेकेदारों को सूची में शामिल करने हेतु ईओआई**" लिखा हो, **प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, मुद्रा प्रबंध विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 4थी मंजिल, अमर भवन, सर पी.एम. मार्ग, फोर्ट, मुंबई – 400 001** को संबोधित करते हुए प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

विधिवत भरे हुए आवेदन हमारे पास **11 अक्टूबर 2019 को साँय 03:30** तक प्राप्त हो जाने चाहिए ।

ईओआई प्रस्तुत करने सारणी		
1	ईओआई दस्तावेज़ / आवेदन फार्म डाऊनलोड करने की प्रारम्भ तिथि	30 अगस्त 2019
2	परिशिष्ट, यदि कोई हो, जारी करने की अंतिम तिथि	16 सितम्बर 2019
3	प्रश्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (प्रश्न निम्न को प्रस्तुत किए जा सकते हैं dcmrmmt@rbi.org.in rahulkumar1@rbi.org.in) संपर्क - 022 - 2260 4421	23 सितम्बर 2019
4	आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	11 अक्टूबर 2019
5	ईओआई खोलने की तारीख/समय	15 अक्टूबर 2019
6	सूची में शामिल करने की अवधि	01 जुलाई 2019 से 30 जून 2022

भारतीय रिजर्व बैंक

बैंक नोटों के परिवहन हेतु वांछित विशेषताओं वाले बंद वाहनों की आपूर्ति के लिए जब और जहां आवश्यक हो आधार पर परिवहन ठेकेदारों को सूची में सम्मिलित करने हेतु

रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) (दर अनुबंध) आमंत्रित करता है

जारी करने की तारीख : **30 अगस्त 2019**

प्रस्तुत करने की तारीख : **11 अक्टूबर 2019**

मुद्रा प्रबंध विभाग
भारतीय रिजर्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय, 4थी मंजिल
अमर भवन, सर पी.एम. मार्ग
फोर्ट, मुंबई – 400 001
महाराष्ट्र

यह दस्तावेज़ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की संपत्ति है । भारतीय रिजर्व बैंक को उक्त उद्देश्य का उत्तर देने के उद्देश्य के अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुमति के बिना किसी भी माध्यम, इलैक्ट्रोनिक अथवा अन्यथा से प्रतिलिपि बनाई, वितरित अथवा रिकॉर्ड नहीं की जा सकती । इस दस्तावेज़ के घटकों का उपयोग, यहाँ तक कि प्राधिकृत कार्मिकों / एजेंसियों द्वारा इसमें विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के अतिरिक्त किसी भी उद्देश्य के लिए किया जाना, पूर्णत: प्रतिबंधित है तथा इसके फलस्वरूप कॉपीराईट का उल्लंघन होगा तथा इस प्रकार भारतीय कानून के तहत दण्डनीय होगा ।

विषय वस्तु

1. उद्देश्य
2. परिचय / पृष्ठभूमि
   2.1 भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा प्रबंधन का संक्षिप्त परिचय
   2.2 भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालय तथा उनका क्षेत्राधिकार
   2.3 वर्तमान संरचना
3. कार्य का दायरा
4. पूर्व पात्रता मानदंड
5. आवश्यकताएँ
6. आवेदकों हेतु निर्देश
7. ईओआई प्रस्तुत करने सारणी
8. अस्वीकारण और प्रकटीकरण
9. ईओआई प्रस्तुत करने का प्रारूप (**अनुलग्नक – I**)
10. अनुभव प्रमाण पत्र / कार्यनिष्पादन प्रमाण पत्र का प्रारूप (**फॉर्म क**)
11. बैंकर्स रिपोर्ट का प्रारूप (**फॉर्म ख**)

1. **उद्देश्य**

i. भारतीय रिजर्व बैंक (जिसे बाद में यहाँ 'आरबीआई' अथवा 'बैंक" कहा गया है) यह 'रूचि की अभिव्यक्ति" (जिसे बाद में यहाँ 'ईओआई" कहा गया है) जारी करता है ।

ii. आरबीआई बैंक के निर्गम कार्यालयों से उनके क्षेत्राधिकार में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा परिचालित मुद्रा तिजोरियों से तथा इसके विपरीत तथा बैंक द्वारा निर्धारित किसी अन्य स्थान से / तक बैंक नोटों के परिवहन के लिए प्रतिष्ठित तथा अनुभवी सड़क परिवहन ठेकेदारों से देश भर में स्थित बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के निर्गम विभागों (निर्गम कार्यालयों) (पैरा 2.2 में दिए विवरण अनुसार) के लिए ड्राईवरों / अन्य आवश्यक स्टाफ सहित वांछित विशेषताओं (पैरा 5 में दिए विवरण अनुसार) वाले पूर्ण रूप से ढ़के हुए धातु की बॉडी के कंटेनर ट्रक / वाहनों में आपूर्ति हेतु सूची में सम्मिलित करने का इच्छुक है । यह ईओआई उन पात्र ठेकेदारों को सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु जारी की गई है जो उनकी भौगोलिक उपस्थिती के आधार पर एक या अधिक निर्गम कार्यालयों के लिए इस प्रकार के वाहनों की आपूर्ति कर सकते हैं ।

iii. ईओआई के उत्तर में प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली पात्र कंपनी / साझेदारी / मालिकाना फर्म आदि को यहाँ बाद में "परिवहन ठेकेदार(रों)" अथवा "ठेकेदार(रों)" के रूप में कहा जाएगा।

iv. **इस ईओआई के उत्तर तथा पात्रता मानदंड पूरा करने के आधार पर सभी निर्गम कार्यालयों को कवर करते हुए ठेकेदारों का एक पैनल तैयार किया जाएगा । यह पैनल क्षेत्रीय कार्यालयों के निर्गम विभागों द्वारा जारी लिमिटेड निविदाओं हेतु मूल्य बोली के कोटेशन हेतु पात्र होगा। यद्यपि, पैनल में होने के कारण सूची में शामिल ठेकेदारों को कार्य आदेश / क्रय आदेश का दावा करने का अधिकार नहीं होगा ।**

v. तैयार किया गया ठेकेदारों के पैनल को वार्षिक आधार पर समीक्षा / अद्यतन किया जाएगा ।

vi. यह प्रस्ताव का आमंत्रण भारत में परिचालित सभी कंपनियों / साझेदारी / मालिकाना फ़र्मों तथा प्रासंगिक भारतीय /राज्य क़ानूनों, जो भी लागू हो, के तहत भारत में व्यापार करने हेतु पात्र हैं, के लिए खुला है ।

vii. **यह ईओआई दस्तावेज़ न तो कोई प्रस्ताव पत्र है और न ही कानूनी करार है, लेकिन केवल रूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण है ।**

viii. इस ईओआई से बैंक की ओर से कोई भी संविदात्मक दायित्व उत्पन्न नहीं होगा ।

ix. सूची में शामिल करने हेतु ईओआई को तब तक प्रक्रियाधीन माना जाएगा जब तक बैंक की वेबसाईट पर सफल ठेकेदारों की सूची प्रकाशित नहीं हो जाती ।

x. आरबीआई इस ईओआई के उत्तर को तैयार करने में ठेकेदार द्वारा किए गए किसी भी व्यय/ लागत हेतु उत्तरदायी नहीं होगा । ठेकेदार के प्रस्ताव पर विचार करने से बैंक की ओर से उसकी सेवाएँ लेने हेतु कोई भी दायित्व नहीं बनाता तथा बैंक ठेकेदार के प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के कारणों पर चर्चा करने हेतु बाध्य नहीं है।

xi. ठेकेदार द्वारा उनके प्रस्तावों में शामिल की गई सभी सूचनाएँ पूर्णत: गोपनीय रखी जाएंगी ।

xii. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **11 अक्टूबर 2019** को **15:30** बजे तक है ।

2. **परिचय / पृष्ठभूमि**

2.1. मुद्रा प्रबंधन का संक्षिप्त परिचय :

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम (आरबीआई), 1934 के प्रावधानों के अनुसार बैंक मुद्रा / बैंक नोटों का एकमात्र जारीकर्ता है तथा मुद्रा प्रबंधन के सभी पहलुओं जैसे जारी करना, वितरण, पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ व फिट नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा अनफिट नोटों को प्रचलन से पुन: प्राप्त करना व इसके पश्चात इनको नष्ट करना हेतु उत्तरदायी है। बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के निर्गम विभागों को चार मुद्रणालयों से बैंक नोटों की आपूर्ति की जाती है । नए/पुन: जारी किए जाने योग्य नोट देशभर में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के 19 निर्गम कार्यालयों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं तथा वहाँ से ये नोट विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक के साथ एक एजेंसी करार के तहत परिचालित लगभग 3800 मुद्रा तिजोरियों में आपूर्ति किए जाते हैं । मुद्रा तिजोरियाँ एक भण्डार गृह के रूप में कार्य करती हैं तथा बैंक शाखाओं को विस्तृत प्रचालन हेतु बैंक नोट आपूर्ति करती हैं ।

2.2. निर्गम कार्यालय तथा उनका क्षेत्राधिकार

बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के 19 निर्गम विभाग हैं जो देश के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हैं । ये निर्गम विभाग उनके क्षेत्राधिकार में स्थित मुद्रा तिजोरियों को/से नए / पुन: जारी किए जाने योग्य नोटों की आपूर्ति करते हैं तथा गंदे नोट प्राप्त करते हैं । निर्गम कार्यालय तथा इसके क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले राज्य / केंद्र शासित प्रदेश निम्नानुसार हैं :

क्र.सं.	आरबीआई निर्गम कार्यालय	क्षेत्राधिकार के तहत राज्य / केंद्र शासित प्रदेश
1	अहमदाबाद	गुजरात राज्य, संघ शासित प्रदेश दमण & दीव तथा दादर और नागर हवेली
2	बैंगलोर	कर्नाटक राज्य
3	बेलापुर	गोवा राज्य तथा महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर, कोल्हापूर, नासिक, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, तथा ठाणे जिले
4	भोपाल	मध्यप्रदेश राज्य
5	भुवनेश्वर	उड़ीसा राज्य
6	चंडीगढ़	हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश राज्य तथा संघ शासित प्रदेश चण्डीगढ़
7	चेन्नई	तमिलनाडु राज्य तथा संघ शासित प्रदेश पुद्दुचेरी
8	गुवाहाटी	असम, अरूणाचलप्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा राज्य
9	हैदराबाद	आंध्रप्रदेश तथा तेलंगाना राज्य
10	जयपुर	राजस्थान राज्य
11	जम्मू	जम्मू और कश्मीर राज्य
12	कानपुर	उत्तराखण्ड राज्य तथा उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, औरैया, बागपत, बांदा, बुलंदशहर, चित्रकूट, एटा, इटावा, फतेहपुर, फीरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हमीरपुर, हापुड़, हाथरस, जालौन, झांसी, कन्नौज, कानपुर, कानपुर देहात, कासगंज, कौशांबी, ललितपुर, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुज्जफरनगर, शामली, सोनभद्र, उन्नाव जिले
13	लखनऊ	उत्तरप्रदेश राज्य के अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, अयोध्या, आजमगढ़, बहराईच, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोई, बिजनौर, बदायूं, चंदौली, देवरिया, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हरदोई, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, लखनऊ, महाराजगंज, मऊ, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीरनगर, शाहजहाँपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर (नवगढ़), सीतापुर, सुल्तानपुर, वाराणसी, भीमनागर जिले
14	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्य तथा अंडमान व निकोबार संघ शासित प्रदेश
15	मुंबई	महाराष्ट्र राज्य के बेलापुर तथा नागपुर निर्गम कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले जिलों के अतिरिक्त आने वाले जिले
16	नागपुर	छत्तीसगढ़ राज्य तथा महाराष्ट्र राज्य के अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड़, भंडारा, बुलढाणा, चंदरपुर, धुले, गढ़चिरौली, हिंगोली, जलगांव, जालना, लातूर, नागपुर, नांदेड, उस्मानाबाद, परभानी, वर्धा, यावतमाल जिले
17	नई दिल्ली	नई दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
18	पटना	बिहार तथा झारखंड राज्य
19	तिरूवन्नतपुरम	केरल राज्य तथा लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश

2.3. वर्तमान संरचना

i. निर्गम विभाग परिवहन ठेकेदारों की सेवाओं का उपयोग करते हुए उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले वाणिज्यिक बैंकों की मुद्रा तिजोरियों को आवधिक आधार पर बैंक नोटों की आपूर्ति करते हैं। परिवहन ठेकेदारों द्वारा निर्गम कार्यालय से मुद्रा तिजोरियों को विप्रेषण भेजने तथा मुद्रा तिजोरियों से गंदे नोट लाने के लिए ड्राईवर / अन्य आवश्यक स्टाफ सहित वांछित विशेषताओं वाले वाहन उपलब्ध करवाए जाते हैं ।

ii. क्षेत्रीय कार्यालय के प्रत्येक निर्गम विभाग परिवहन ठेकेदार/रों की सेवाएँ लेने हेतु ठेकेदारों से प्रत्युत्तर मँगवाने के लिए दो बोली प्रणाली अर्थात **कार्य का दायरा तथा वाणिज्यिक शर्तें** तथा **वित्तीय बोली** के माध्यम से निविदा अधिसूचना जारी करते हैं । इच्छुक ठेकेदार क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आवधिक आधार पर जारी की जाने वाली निविदा अधिसूचना के लिए आवेदन करते हैं ।

iii. ठेकेदारों से प्राप्त कोटेशन के आधार पर, न्यूनतम बोली (L1 दर) पर पहुँचने के पश्चात परिवहन ठेकेदारों का चयन किया जाता है । चयनित ठेकेदार/रों बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ एक करार का निष्पादन करते हैं तथा जब तथा करार के अनुसार, जहां आवश्यक हो के आधार पर, अपनी/उनकी सेवाएँ उपलब्ध करवाते हैं ।

iv. चयनित परिवहन ठेकेदारों की करार अवधि एक वर्ष है, जिसे एक बार में एक वर्ष के लिए, संतोषजनक कार्यनिष्पादन के अधीन मौजूदा नियम व शर्तों पर 2 वर्ष तक के लिए और बढ़ाया जा सकता है ।

v. ठेकेदार को उस ठेकेदार के साथ करीबी समन्वयन के साथ कार्य करने की आवश्यकता है जो नोट के बक्सों को हैंडल करने के लिए श्रमिक/मजदूरों की आपूर्ति करेगा ।

3. कार्य का दायरा

सफलतापूर्वक कार्यादेश के पश्चात परिवहन ठेकेदार निम्न स्थानों से बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के उस निर्गम विभाग, जिसके साथ बैंक नोटों के परिवहन का करार किया गया है, को पर्याप्त संख्या में डाईवर/आवश्यक स्टाफ सहित वांछित विशेषताओं वाले ढके हुए कंटेनर ट्रक/वाहनों की आपूर्ति करेंगे:

i. रेलवे स्टेशन / हवाई अड्डे / संबन्धित निर्गम कार्यालय से बैंक के किसी भी निर्गम कार्यालय अथवा किसी भी स्थान पर, तथा;

ii. संबन्धित निर्गम कार्यालय से इसके क्षेत्राधिकार के तहत स्थित मुद्रा तिजोरियों में तथा इसके विपरीत ।

iii. निर्गम कार्यालय द्वारा चिन्हित अन्य किसी भी स्थान पर ।

4. **पूर्व पात्रता मानदंड**

परिवहन ठेकेदार (कंपनी / साझेदार / मालिकाना फर्म, आदि), भारतीय रिजर्व बैंक के एक अथवा अधिक निर्गम कार्यालयों को डाईवर/आवश्यक स्टाफ सहित वांछित विशेषताओं वाले वाहनों की आपूर्ति करने में सक्षम हो, अनिवार्य रूप से वैध कार्य परमिट के साथ लाईसेंसशुदा संस्था होनी चाहिए:

i. बैंक नोटों के परिवहन के क्षेत्र में न्यूनतम पाँच वर्ष का अनुभव ।

ii. लेखापरीक्षित विवरणियों से समर्थित पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसत वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम रु. 25 लाख ।

iii. नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार सकारात्मक निवल मूल्य (नेट वर्थ) तथा ठेकेदार किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था का इरादतन चूककर्ता नहीं होना चाहिए ।

iv. परिवहन ठेकेदार लगभग 80-140 किलोग्राम प्रति बॉक्स भार के लगभग 82*71*32 सेमी प्रति बॉक्स औसत आकार वाले 50 नोट के बक्सों के भण्डारण की क्षमता वाले न्यूनतम 5 वांछित विशेषताओं वाले कंटेनर ट्रकों (या तो स्वयं के अथवा पट्टे के) की आपूर्ति करने में सक्षम होना चाहिए ।

v. यदि ठेकेदार/रों को एक से अधिक निर्गम कार्यालयों हेतु कार्यादेश मिलता है तो, वह प्रत्येक निर्गम कार्यालय को वांछित विशेषताओं वाले न्यूनतम 5 कंटेनर ट्रकों की आपूर्ति करने में सक्षम होना चाहिए ।

vi. एमएसई (सूक्ष्म तथा लघु उद्यम) श्रेणी में पंजीकृत आवेदक को टेंडर सैट शुल्क, बयाना राशि तथा न्यूनतम पूर्व कार्य अनुभव तथा टर्न ओवर के संबंध में छूट, यदि कोई हो, स्वीकार की जाएगी, जो इसके मानदंड पूर्ण करने के अधीन होगी ।

5. **आवश्यकताएँ**

पैरा 3 (कार्य का दायरा) में उल्लिखित कार्य करने के लिए, उक्त पात्रता मानदंड पूरा करने वाले परिवहन ठेकेदार निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होने चाहिए:

i. पर्याप्त मोटाई वाले धातु की बॉडी, सुरक्षित छेड़छाड़ रोधक डबल लोकिंग सिस्टम व्यवस्था (ताला तथा चाबी तथा बायोमैट्रिक उत्तरदायित्व) के साथ प्राथमिक रूप से छेड़छाड़ / बुलेट रोधक तथा आवश्यक स्टाफ के साथ वैध ड्राईविंग लाईसेंस वाले अनुभवी ड्राईवर सहित ट्यूब रहित टायर वाले पूर्ण रूप से ढ़के हुए कंटेनर ट्रक / वाहनों की पर्याप्त संख्या में आपूर्ति ।

ii. ये कंटेनर ट्रक / वाहन बैंक / ठेकेदार / विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किसी भी समय, जब कभी आवश्यक हो, नजर रखने के लिए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) से सुसज्जित होंगे । निर्गम कार्यालय भी अपने स्थान पर रास्ते के निकटतम पुलिस थाने के अतिरिक्त संकेत सहित जियो-फ़ैन्सिंग मैपिंग के साथ इन वाहनों की जीवंत निगरानी कर सकते हैं ।

iii. ये कंटेनर ट्रक / वाहनों को एक हूटर सहित वायरलेस मोबाईल संचार प्रणाली के साथ सुसज्जित होने चाहिए ।

iv. ये कंटेनर ट्रक / वाहन 10 वर्ष से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए तथा अच्छी स्थिति में तथा सड़क के उपयुक्त होने चाहिए । कंटेनर ट्रक या तो ठेकेदार के स्वामित्व वाले होने चाहिए अथवा पट्टे के होने चाहिए । पट्टे के वाहनों के मामले में, वाहन का पट्टा करार की अवधि के दौरान समाप्त नहीं होना चाहिए ।

v. इन कंटेनर ट्रकों / वाहनों को अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरणों से सुसज्जित होना चाहिए।

vi. इन कंटेनर ट्रकों / वाहनों में उच्च रेजोल्यूशन सीसीटीवी कवरेज के साथ सामान के डिब्बे से अलग यात्री डिब्बे होने चाहिए।

vii. इन कंटेनर ट्रकों / वाहनों का संबन्धित आरटीओ द्वारा जारी वैध अनुमति, पंजीकरण कागजात, पीयूसी प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, आज तक कर का भुगतान, वाहन का बीमा कवर, पेड ड्राईवर, हेल्पर आदि होने चाहिए।

viii. ठेकेदार/रों मोटर वाहन अधिनियमों तथा संबन्धित राज्य(यों) में लागू राज्य(यों) के नियमों तथा संघ के लागू क़ानूनों का पालन करने हेतु बाध्य होगा ।

ix. ठेकेदार(रों) को कानून के अनुसार लागू न्यूनतम मजदूरी के भुगतान, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), कर्मकार क्षतिपूर्ति बीमा आदि सहित सभी आदेश पत्रों का अनुपालन करना होगा ।

x. निर्गम कार्यालय द्वारा सफलतापूर्वक कार्यादेश देने के पश्चात, सफल ठेकेदार क्षेत्रीय कार्यालय के नगरपालिका क्षेत्राधिकार के भीतर एक स्थानीय कार्यालय स्थापित करेगा तथा परेशानी मुक्त संचालन हेतु एक स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त करेगा । **यदि ठेकेदार(रों) को एक से अधिक**

निर्गम कार्यालयों का कार्यादेश प्राप्त होता है तो, वह संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय(यों) के नगरपालिका के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थानीय कार्यालय स्थापित करेगा ।

6. **आवेदकों हेतु निर्देश**

i. इच्छुक ठेकेदार, जो पात्र हैं तथा उक्त आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम हैं, वे पात्रता हेतु दस्तावेजी साक्ष्य के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार अपनी रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्रस्तुत कर सकते हैं ।

ii. ईओआई दस्तावेक को बैंक की वेबसाईट अर्थात https://www.rbi.org.in के **निविदाएँ** खण्ड से डाऊनलोड किया जा सकता है ।

iii. सभी दस्तावेज़ विधिवत हस्ताक्षरित होने चाहिए तथा ठेकेदार द्वारा विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।

iv. इस ईओआई में किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र को बैंक की वेबसाईट **https://www.rbi.org.in** पर जारी किया जाएगा ।

v. तैयार किए गए ठेकेदारों का पैनल 01 जुलाई 2019 से 30 जून 2022 तक तीन वर्ष की अवधि हेतु प्रभावी होगा । सफल ठेकेदारों की एक सूची बैंक की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाएगी ।

vi. **सूची में शामिल किए गए ठेकेदार(रों) बैंक के निर्गम कार्यालयों द्वारा जारी लिमिटेड निविदा अधिसूचना हेतु मूल्य बोली के कोटेशन के लिए पात्र होंगे । निर्गम कार्यालयों की आवश्यकता तथा बोलीकर्ताओं द्वारा दी गई दरों के आधार पर, निर्गम कार्यालय बोलियों का आकलन करेगा तथा चयनित ठेकेदार(रों) को कार्यादेश दिया जाएगा। चयनित ठेकेदार(रों) निविदा के दस्तावेजों तथा करार के लेखों में वर्णित शर्तों के अनुसार सेवाएँ प्रदान करने के लिए निर्गम कार्यालय के साथ एक औपचारिक करार का निष्पादन करेंगे । यह करार एक वर्ष के लिए होगा जिसे संतोषजनक कार्यनिष्पादन के अधीन मौजूदा नियमों व शर्तों पर एक बार में एक वर्ष के लिए 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ।**

vii. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी निविदा दस्तावेजों पर स्पष्टीकरण हेतु इच्छुक ठेकेदारों को बैंक की वेबसाईट (https://www.rbi.org.in) के "**निविदाएँ**" खण्ड के निविदा दस्तावेज़ को देखने हेतु सूचित किया जाता है।

viii. यह दस्तावेज़ न तो प्रस्ताव पत्र है और न ही कानूनी करार है, अपितु ऊपर उल्लिखित अनुसार परिवहन ठेकेदारों के रूप में सूची में शामिल करने हेतु रूचि अभिव्यक्त करने के लिए आमंत्रण है ।

ix. बैंक को बिना कोई कारण बताए किसी भी अथवा सभी ईओआई को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार है ।

7. ईओआई प्रस्तुत करने सारणी

ईओआई प्रस्तुत करने सारणी		
1	ईओआई दस्तावेज़ / आवेदन फार्म डाऊनलोड करने की प्रारम्भ तिथि	30 अगस्त 2019
2	परिशिष्ट, यदि कोई हो, जारी करने की अंतिम तिथि	16 सितम्बर 2019
3	प्रश्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (प्रश्न निम्न को प्रस्तुत किए जा सकते हैं dcmrmmt@rbi.org.in rahulkumar1@rbi.org.in) संपर्क - 022 - 2260 4421	23 सितम्बर 2019
4	आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	11 अक्टूबर 2019
5	ईओआई खोलने की तारीख/समय	15 अक्टूबर 2019
6	सूची में शामिल करने की अवधि	01 जुलाई 2019 से 30 जून 2022

8. अस्वीकारण और प्रकटीकरण

i. यह ईओआई, करार में प्रवेश करने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है । यह ईओआई बैंक के उद्देश्यों तथा आवश्यकताओं का विवरण है जो संचारित तरीके से व्यक्त किया गया है ताकि बैंक प्राप्त सभी प्रत्युत्तरों का मूल्यांकन कर सके तथा कोई सही निर्णय ले सके ।

ii. यहाँ तक कि यदि ईओआई में दी गई सभी आवश्यकताएँ पूर्ण हो रही हों तो भी बैंक अंतर्निहित अथवा अन्यथा इस प्रकार की कोई भी प्रतिबद्धता नहीं करता है कि इस ईओआई के जारी होने से, ठेकेदारों की तैयारी तथा प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने तथा ठेकेदार के प्रत्युत्तर का मूल्यांकन करने के परिणाम स्वरूप ठेकेदार अथवा अन्य प्रतिभागियों के साथ व्यवसाय लेन देन हो सकता है ।

iii. बैंक के पास किसी भी समय बिना किसी दायित्व के किसी भी प्रत्युत्तर को पूरा अथवा किसी हिस्से को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, किसी भी समय और/अथवा एक ही समय एक अथवा एक

से आधी संभावित ठेकेदारों के साथ चर्चा करने तथा/अथवा बातचीत करने, तथा किसी भी समय बातचीत को समाप्त करने का अधिकार है ।

iv. **किसी भी स्थिति में ईओआई की विषय वस्तु से संबन्धित अथवा किसी आवेदक को कोई करार / कार्य देने (अथवा कार्यादेश नहीं देने) के लिए बैंक तथा उसके कर्मचारियों पर किसी भी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, विशेष, दण्डात्मक, परिणामी अथवा कोई अन्य क्षति (बिना किसी सीमा, खोए हुए लाभ सहित) के लिए कोई देयता नहीं हो सकती ।**

****

अनुलग्नक – I

जब तथा जहां आवश्यक हो के आधार पर बैंक नोटों के परिवहन के लिए वांछित विशेषताओं वाले बंद वाहनों की आपूर्ति के लिए परिवहन ठेकेदारों को सूची में सम्मिलित करने हेतु दिनांक 30 अगस्त 2019 की रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) (दर अनुबंध) हेतु आवेदन

सेवा में
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
मुद्रा प्रबंध विभाग
भारतीय रिजर्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय, 4थी मंजिल
अमर भवन, सर पी.एम. मार्ग
फोर्ट, मुंबई – 400 001

भाग क : आवेदक / परिवहन ठेकेदार का विवरण

क्र.सं.	मद	विवरण
1.	(क) संस्था / परिवाहक का नाम	
	(ख) संस्था का प्रकार (क्या एकल स्वामित्व / साझेदारी / प्राईवेट लिमिटेड / लिमिटेड आदि है)	
	(ग) पंजीकृत कार्यालय का पता	
	(घ) पत्राचार का पता	
	(ङ) प्राधिकृत व्यक्ति का नाम तथा पदनाम	
	(च) संपर्क नंबर . मोबाईल : लैंड लाईन नंबर .	
	(छ) ई-मेल आईडी	
	(ज) PAN / TIN नंबर . (झ) GSTN नंबर .	
	(ञ) व्यवसाय प्रारम्भ करने का वर्ष	
2.	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी का वार्षिक टर्न ओवर (रुपये लाख में)	प्रथम वर्ष (2016-17) : द्वितीय वर्ष (2017-18) : तृतीय वर्ष (2018-19) : औसत वार्षिक टर्न ओवर :
3.	(क) अनुभव के वर्षों की संख्या	

	(ख) बैंक नोटों के परिवहन में अनुभव के वर्षों की संख्या	
	(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालयों के साथ कार्य करने का कोई पूर्व अनुभव	
	(घ) यदि हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालय का नाम तथा समयावधि का उल्लेख करें	
4.	(क)ईओआई में उल्लिखित विशेषताओं के अनुसार ट्रकों की कुल संख्या	
	(ख)इनमें से स्वयं के स्वामित्व वाले ट्रकों की संख्या	
	(ग) इनमें से पट्टे पर लिए गए ट्रकों की संख्या	
5.	क्या राष्ट्रीय परमिट लिया गया है	

भाग ख : बेड़े / वाहनों का विवरण

क्र.सं	वाहन का प्रकार (मॉडल)	ट्रकों का आकार (लंबाई*चौड़ाई* ऊंचाई) फुट में	क्षमता (टन में)	जीपीएस उपस्थिति (हाँ/नहीं)	ईओआई के अनुसार विशिष्टाएँ (हाँ/नहीं)	स्वामित्व वाले / पट्टे का
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

भाग ग : अनुभव – उन संस्थाओं / संगठन का विवरण जिसके साथ ठेकेदार ने समान करार में प्रवेश / पूर्ण किया है ।

क्र.सं.	संस्था / संगठन का नाम	संस्था / संगठन का पता तथा संपर्क नंबर	करार की समयावधि	संस्था / संगठन के साथ व्यय (प्रति वर्ष)	किए गए कार्य का विवरण
1					
2					
3					

भाग घ : भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालय का नाम (जहां आवेदक द्वारा बैंक नोटों के परिवहन की सेवाएँ प्रदान की जा सकती हों)

1.	**2.**
3.	**4.**
5.	**6.**
7.	**8.**

(नोट: सफलतापूर्वक कार्यादेश के पश्चात, करार के सुचारू निष्पादन के लिए आरबीआई निर्गम कार्यालय के नगरपालिका क्षेत्राधिकार में आवेदक को एक स्थानीय कार्यालय खोल्न होगा। आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे उनकी उपस्थिति तथा भविष्य में उपस्थिति की उनकी इच्छा तथा संबन्धित राज्यों में इस प्रकार की सेवाएँ प्रदान करने के लिए वैध परमिट की उपलब्धता के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालयों का नाम भरें।)

यदि आवेदक कुछ अतिरिक्त जानकारी और अधिक निर्गम कार्यालयों को सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम/इच्छुक है तो, वह प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित शीट में अलग से अतिरिक्त जानकारी तथा उन निर्गम कार्यालयों का नाम शामिल कर सकता है ।

भाग ड़ : घोषणा

1. इस फॉर्म में दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सटीक तथा सत्य है ।

2. मैं / हम समझते हैं कि यदि मेरे / हमारे द्वारा दी गई कोई भी सूचना गलत / गलत पाई जाती है तो हमारा आवेदन किसी भी स्तर पर निरस्त करने हेतु उत्तरदायी होगा तथा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का निर्णय अंतिम होगा ।

3. मैं / हम एतद द्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने / हमने सभी निर्देशों/दिशानिर्देशों को पढ़ तथा समझ लिया है तथा दिनांक 30 अगस्त 2019 के ईओआई दस्तावेज़ में अंतर्निहित मानदंड/शर्तों को पूरा करते हैं ।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

दिनांक तथा मोहर

संलग्नक

i. दिए गए प्रारूप में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन फॉर्म ।

ii. यदि आवेदक एक कंपनी है तो बोर्ड संकल्प तथा एसोशिएशन ज्ञापन, एसोशिएशन का अनुच्छेद, व्यवसाय के निगमन तथा प्रारम्भ के प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां। यदि आवेदक साझेदारी फर्म है तो पंजीकृत साझेदारी विलेख की स्व-अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां ।

iii. यदि आवेदक एलएलपी है तो एलएलपी रजिस्ट्रार द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां ।

iv. यदि आवेदक एक एकल स्वामित्व फर्म है तो एकल स्वामित्व फर्म के पंजीकरण की स्व-अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां ।

v. टेंडर सेट शुल्क, बयाना राशि तथा न्यूनतम पूर्व कार्य अनुभव, जो भी लागू हो, के संबंध में छूट का दावा करने हेतु एमएसई (सूक्ष्म तथा लघु उद्यम) श्रेणी के तहत पंजीकरण की स्व-अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां ।

vi. जहां ठेकेदार का कार्यालय है उसके पंजीकृत पते के लिए दस्तावेजी प्रमाण की स्व-अभिप्रमाणित प्रतिलिपि ।

vii. वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 हेतु लाभ तथा हानि विवरणी सहित लेखापरीक्षित तुलन पत्र।

viii. राष्ट्रीय परमिट की प्रतिलिपियां, यदि कोई है ।

ix. **फॉर्म क** में दिए प्रारूप के अनुसार उस संस्था / संगठन का अनुभव प्रमाण पत्र / कार्यनिष्पादन प्रमाण पत्र जहां आवेदक ने इस प्रकार की सेवाएँ दी हैं ।

x. **फॉर्म ख** में दिए गए प्रारूप के अनुसार बैंकर का प्रमाण पत्र।

फार्म – ए / Form – A

{ग्राहक के महाप्रबंधक/परियोजना प्रबन्धक/समान प्राधिकारी,(उनके लेटर हैड पर) जिसके लिए आवेदक ने इसी प्रकृति के पात्र कार्य किए हैं, द्वारा जारी किया जाए/ To be Issued by the General Manager / Project Manager/ Equivalent Authority of the Client (on their Letter Head) for whom the applicant had carried out Eligible Works of similar nature}

प्रति / To
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक/The Chief General Manager-in-Charge,
भारतीय रिजर्व बैंक / Reserve Bank of India,
मुद्रा प्रबंध विभाग / Department of Currency Management,
केंद्रीय कार्यालय / Central Office,
मुंबई 400 001 / Mumbai 400 001

विषय - ठेकेदार के निष्पादन से संबंधित प्रमाण-पत्र /
Subject – Certificate regarding performance of the contractor

1	संगठन/ठेकेदार का नाम / Name of the Organization/ Contractor	
2	संस्था/संगठन का नाम तथा पता जिसके लिए उन्होने कार्य किया / Name and address of the Institution/ Organization with whom work is executed	
3	कार्य का संक्षिप्त विवरण तथा कार्यस्थल के साथ परियोजना का नाम / Name of Project with brief particulars of work and location of worksite	
4	करार संख्या तथा दिनांक (यदि हो) / Agreement No. and date (if any)	
5	कार्य की अनुमानित लागत/Estimated Cost of Work	
6	करार की समयावधि/Time Period of Contract	
7	निष्पादन रिपोर्ट (कृपया ठेकेदार की सेवा का मूल्यांकन करें)/Performance report (Please rate the Service of the Contractor)	

	क्या ठेकेदार समय पर आवश्यक वाहन की पर्याप्त आपूर्ति करने में समर्थ है। / Whether the contractor is able to supply sufficient number of required vehicles on time	हाँ/नहीं / Yes / No
	करार की समयावधि के दौरान ठेकेदार पर लगाया गया कोई वित्तीय दंड / Any Financial Penalty imposed on the Contractor during the contract period	हाँ/नहीं / Yes / No
	कर्मचारियों का सामान्य व्यवहार / General Behaviour of the staff	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा /सांतोषजनक/खराब / Outstanding / Very Good / Good / Satisfactory /Poor

हस्ताक्षर तथा मुहर / Sign and Stamp

फॉर्म – ख / Form – B

बैंकर का प्रमाण-पत्र का प्रारूप / FORMAT OF BANKER'S CERTIFICATE

1. कंपनी की सरंचना(चाहे साझेदारी/प्राइवेट लिमिटेड/ मालिकियत/पब्लिक लिमिटेड हो) :
   Composition of the firm (whether Partnership/ Private Limited/ Proprietorship/ Public Limited)

2. कंपनी के मालिक/साझेदारों/निदेशकों का नाम :
   Name of the Proprietor/Partners/ Directors of the firm

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों का कुल टर्न ओवर तथा निवल संपति (वर्ष-वार)/
   Turnover and Net Worth of the firm for the last 3 financial years (year-wise)

वर्ष/Year	कुल बिक्री (रुपयों में) / Turn Over (in Rs.)	निवल संपति (रुपयों में) / Net worth (in Rs.)
2016-17		
2017-18		
2018-19		

4. कंपनी द्वारा ऋण सुविधा /ओवेरड्राफ्ट सुविधा ली गई / :
   Credit facility/ Overdraft facility enjoyed by the firm.

5. आपके बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है उसकी अवधि / :
   The period for which the firm has been banking with your bank.

6. अन्य टिप्पणियाँ / :
   Any other remarks

(हस्ताक्षर तथा मोहर / Signature and Stamp)
कृते बैंक / For the bank

नोट / Note:

i. कृपया आप अपनी राय दें कि क्या उक्त कंपनी आर्थक रूप से मजबूत है कि उनको 50 लाख रुपए की लागत के कार्य के लिए ठेका दिया जाए /
You may also kindly forward your opinion whether the above firm is considered financially sound to be entrusted with the contract for works estimated to cost Rs.50 Lakhs.

ii. बैंक का प्रमाण-पत्र बैंक के लेटर हैड पर प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, मुद्रा प्रबंध विभाग,केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, फोर्ट, मुंबई 400 001 को संबोधित कवर में सील किया जाना चाहिए। /

Bankers' certificates should be on letterhead of the bank, sealed in cover addressed to The CGM-in-Charge, Department of Currency Management, Central Office, Reserve Bank of India, Fort, Mumbai - 400001.

iii. साझेदारी कंपनी के मामले में, प्रमाण-पत्र में बैंक के साथ दर्ज सभी भागीदारों के नाम शामिल होने चाहिए। /
In case of partnership firm, certificate should include names of all partners as recorded with the bank.